Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 48-51

# राजनीतिक सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता: भारतीय परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

**डॉ. श्रवण कुमार सैनी**

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, नवलगढ़, झुंझुनूं (राजस्थान)

## शोध सारांश

*प्रस्तुत शोध पत्र भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की स्थिति की जांच करता है। यह सारांश भारतीय संदर्भ में राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर चर्चा का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। यह इन क्षेत्रों में हुई प्रगति और सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। उल्लेखनीय प्रगति में स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, महिला नेताओं का उद्भव और लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा शामिल है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें लिंग-आधारित हिंसा, सामाजिक मानदंड और एक अंतर्विरोधी दृष्टिकोण की आवश्यकता शामिल है। यह विमर्श बाधाओं को दूर करने और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है।*

**संकेताक्षर**—*राजनीतिक सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक मानदंड*

## प्रस्तावना

सबके साथ समान व्यवहार करना समानता का प्रमुख लक्षण है। मानवीय गरिमा और सम्मान का आचरण प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार ही नहीं वरन मानवता के विचार का सम्पूरक भी है। इस दृष्टि से समानता का विचार मानवता की संकल्पना का आधार है। समानता के विचार के बिना हम मानवीय जीवन की पूर्णता की कल्पना नहीं कर सकते है। अन्य शब्दों में कहा जाये तो समानता का विचार ही मानवता की संकल्पना को सम्पूर्णता प्रदान करता है। असमानता का किसी भी रूप में व्यवहार मानवता के विचार को खण्डित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा लैंगिक असमानता मानवता के विरूद्ध एक घृणित अपराध है। सामाजिक और लैंगिक असमानता/विभेद केवल मानवता के विरूद्ध एक अपराध ही नहीं हैं बल्कि यह कानून के समक्ष भी एक गम्भीर अपराध हैं। सभी स्त्री-पुरुषों के साथ समान व्यवहार करना तथा उन्हें समान सम्मान, सुविधाएँ और अधिकार प्रदान करना लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता की संकल्पना में यह विचार निहित होता है कि लिंग के आधार पर स्त्री-पुरुष के मध्य विभेद करना अमानवीय कृत्य है। स्त्री-पुरुष दोनों समान है। लिंग के आधार पर पुरुषों को श्रेष्ठ अथवा स्त्रियों को कमतर नहीं माना जा सकता हैं।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में लैंगिक असमानता अथवा लैंगिक विभेद एक गम्भीर समस्या है। यह एक वैश्विक समस्या है और विश्व के सभी देश इस समस्या से आहत हैं। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व को लैंगिक समानता तक पहुंचने में 132 वर्ष लगेंगे। अभी तक केवल 68 प्रतिशत लिंग अंतर ही पाटा जा सका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रैंकिंग में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। आइसलैंड एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने अपने 90 प्रतिशत से अधिक जेंडर गैप खत्म कर दिया है।[1] भारत में यह समस्या राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लैंगिक विभेद भारतीय समाज

की संरचना का अभिन्न भाग है। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में पुरुष का स्थान प्रधान तथा स्त्री का स्थान गौण माना जाता रहा है। ऐसे में लैंगिक समानता की स्थापना हमारे समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। लैंगिक समानता के मामले में भारत विश्व के 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को संकलित और जारी करता है। यह रिपोर्ट चार प्रमुख आयामों के बीच लिंग आधारित अंतराल की सीमा को मापती हैः आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक अधिकारिता। प्रत्येक देश के विश्लेषण का उद्देश्य लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करने के आधार के रूप में कार्य करना है।

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) द्वारा 13 जुलाई, 2022 को जारी की गई "ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स/सूचकांक 2022" (Global Gender Gap Index) के अनुसार भारत 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। लैंगिक समानता के मामले में भारत इस सूची में नीचे से 12वें स्थान पर है। अर्थात 11 देश ही उससे नीचे है। भारत से नीचे वाले देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कॉन्गो, ईरान और चैड जैसे देश शामिल है। दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से भी खराब है।[2]

भारत, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर है। "स्वास्थ्य और उत्तरजीविता" उप-सूचकांक में भारत का दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, जहां भारत को 146वें स्थान पर रखा गया है। भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों में भी काफी खराब है और बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) से पीछे है।

सदियों से राजनीति को पुरुषों के एकाधिकार क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है। अतः राजनीति महिला वर्ग के लिये एक वर्जित क्षेत्र माना जाता रहा है।[3] भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं वरन विश्व के समस्त राजनीतिक समाजों के गौरवपूर्ण इतिहास का यह एक काला अध्याय रहा है कि समाज की आधी आबादी को सार्वजनिक जीवन में सहभागिता से वंचित रखा गया। दुर्बल लिंग (Weaker-Sex) के रूप में महिला की स्वीकारोक्ति के कारण महिला वर्ग को कभी राजनीतिक समाज का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार नहीं किया गया तथा उन्हें "दोयम नागरिक" की संज्ञा दी गई। लैंगिक भेदभाव के कारण दुनिया की आधी जनसंख्या अपनी पूरी प्रतिभा को साकार करने के अधिकार से वंचित रह जाती है।[4] मानव समाज का इतिहास, महिलाओं को 'सत्ता', 'प्रभुत्ता' एवं शक्ति से दूर रखने का इतिहास है और इसलिए प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न आने देने की संरचनात्मक व सांस्कृतिक बाध्यताएँ बनायी गयी हैं।[5] मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार अपने देश की शासन एवं राजनीति में भाग लेना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।[6] लैंगिक समानता की दृष्टि से समाज में महिलाओं की दोयम स्थिति ने ही महिला सशक्तिकरण विशेष रूप से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की मांग को प्रबल बनाया है।

नारीवादी व्याख्या के अनुसार महिला सशक्तिकरण उपस्थित शक्ति संरचनाओं एवं शक्ति-समीकरणों के विरुद्ध सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों संरचना का पक्षधर है, जिसमें स्त्री सक्षम, सशक्त अभिकर्ता के रूप में समाज में शक्ति-संरचनाओं के सभी स्तरों पर निर्णय-प्रक्रिया में समान सहभागी के रूप में हो।[7] सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा असमर्थ/निर्बल व्यक्ति अपने जीवन की स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण करते हैं।[8] सशक्तिकरण अवधारणा को अधिकारिता के रूप में भी पुकारा जाता है। अधिकारिता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों और स्थानीय समूहों को अपेक्षित अधिकार और क्षमताएँ प्रदान की जाती है। ताकि वे अपने जीवन और समाज से संबद्ध मामलों में अधिक स्वतंत्रता हासिल कर सकें। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो उन्हें उनकी जीविका को प्रभावित करने वाले विषयों के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने वाले विषयों के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम बनाती है और उन लोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान करती है, जो उनकी ओर से निर्णय करते हैं। अंग्रेजी लांगमैन डिक्शनरी के अनुसार अधिकारिता का अर्थ है, किसी को उसके जीवन या हालात पर अधिक नियंत्रण की स्वतंत्रता प्रदान करना। अधिकारिता चूंकि एक बहुआयामी प्रक्रिया है इसलिए उसके प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करने की दृष्टि से महिला अधिकारिता को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना गया है।[9]

महिला वर्ग की अपेक्षित स्थिति के सन्दर्भ में उनका राजनीतिक सशक्तिकरण वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः भारत में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक प्रयास किये जाते रहे है। जिसके परिणामस्वरूप महिला वर्ग की स्थिति में कुछ बदलाव दृष्टिगत होता है लेकिन उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। राजनीतिक क्षेत्र में आज भी महिला वर्ग की सहभागिता उपेक्षित है। संभवतः इसलिए महिला-सशक्तिकरण वर्तमान समय की प्रबल आवश्यकता है। नीति एवं निर्णय-निर्माण के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की समान सहभागिता ही उनका राजनीतिक सशक्तिकरण है।[10]

महिला सशक्तिकरण प्रदेश या राष्ट्रीय ही नहीं वरन एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकता है। महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन-1995 में 4 से 15 सितंबर 1995 तक बीजिंग में बैठक के बाद बीजिंग डिकलरेशन एण्ड प्लेटफॉम फॉर एक्शन के अनुसार महिला सशक्तिकरण और समाज के सभी क्षेत्रों में समानता के आधार पर उनकी पूर्ण भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी और सत्ता तक पहुंच सहित, समानता, विकास और शांति की उपलब्धि के लिए राज्यों की प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी एजेंडा है। यह दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने और महिला सशक्तिकरण के समर्थन में राज्यों के प्रयासों का आकलन करने के लिए संदर्भ एक संरचनात्मक व्यवस्था है।[11]

सितम्बर, 2000 की सहस्त्राब्दी घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दो लक्ष्यों "सबके लिए शिक्षा और नर-नारी के बीच समानता एवं नारी को सशक्त बनाना" को महत्वपूर्ण माना गया।[12] संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के साथ गैर सरकारी स्तर पर भी महिला अधिकारों की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किये गये। गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने भी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के संवर्धन पर बल दिया।[13] वर्ष 2007 में भारत दक्षिण अफ्रीका महिला कोरम की बैठक (जोहन्सबर्ग) में महिला अधिकारिता से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।[14] इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। इसी प्रकार राज्य-राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण के विविध प्रयास जारी है।

राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं।[15] भारतीय संदर्भ में, निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास और चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

## राजनीतिक सशक्तिकरण

**महिलाओं के लिए आरक्षण**—भारत ने स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में प्रगति की है। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय पंचायतों (ग्राम परिषदों) और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया। इससे जमीनी स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

**संसद में प्रतिनिधित्व**—हालाँकि राष्ट्रीय संसद में 106वें संविधान संशोधन द्वारा संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण कर दिया गया है लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया है । संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण करने के किये पहले सीटों के परिसीमन की शर्त लगा दी गयी है जो नवीन जनगणना पश्चात् होगी।

**महिला नेताओं का उदय**—चुनौतियों के बावजूद, भारत ने सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रमुख महिला नेताओं का उदय देखा है। महिलाओं ने राज्यों की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, प्रमुख मंत्री पद संभाले हैं और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

## लैंगिक समानता

**कानूनी ढांचा**—भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है, जिसमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज के खिलाफ कानून शामिल हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**शिक्षा**—लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता रही है, और महिला साक्षरता दर में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

**आर्थिक सशक्तिकरण**—प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों का समर्थन करना है।

## चुनौतियाँ

राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में सकारात्मक विकासों के बावजूद कतिपय चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान है—

**लिंग आधारित हिंसा**—लिंग आधारित हिंसा एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। बलात्कार, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो कानूनों के मजबूत कार्यान्वयन और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

**सामाजिक मानदंड**—गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंड और रूढ़ियाँ अक्सर लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति में बाधा बनती हैं। इनमें ऐसे पूर्वाग्रह शामिल हैं जो महिलाओं की भूमिकाओं को पारंपरिक देखभाल जिम्मेदारियों तक सीमित करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं।

## निष्कर्ष

लैंगिक समानता के संदर्भ में, भारत में कानूनी ढांचा घरेलू हिंसा और कार्यस्थल उत्पीड़न जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला साक्षरता दर में सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयास समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। फिर भी, गहराई तक व्याप्त सामाजिक मानदंड और रूढ़ियाँ प्रगति में बाधा बनी हुई हैं, लिंग आधारित हिंसा में योगदान दे रही हैं और समाज में महिलाओं की भूमिका को सीमित कर रही हैं।

जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र जैसे कारकों पर विचार करते हुए लैंगिक मुद्दों की अंतर्संबंधता के लिए विभिन्न संदर्भों में महिलाओं के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक और अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सच्ची लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, न केवल मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना जरूरी है, बल्कि भेदभाव को कायम रखने वाले गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना और बदलना भी जरूरी है।

वस्तुतः राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हेतु विधायी, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तरों पर निरंतर प्रयासों से एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना महत्वपूर्ण हैं जहां महिलाओं को समान अवसर, प्रतिनिधित्व और जीवन के सभी पहलुओं में आगे बढ़ने की क्षमता मिले जिससे राष्ट्र के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी भविष्य को आकार दिया जा सके।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, 13 जुलाई, 2022
2. उपर्युक्त
3. सिद्दीकी, फातिमा, पॉलिटिकल वूमेन, कनिष्का पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1999
4. विश्व जनसंख्या की स्थिति-2005, समानता की प्रतिज्ञा, (यू. एन.एफ.पी.ए.), न्यूयार्क, यू.एस.ए. 2005
5. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004, पृ.सं. 3
6. प्लेटफार्म फॉर एक्शन एण्ड दी बीजिंग डिक्लेरेशन, युनाईटेड नेशन्स, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्फोरमेशन, न्यूयार्क, 1996, पृ.सं. 109
7. कौशिक, आशा, पूर्वोक्त
8. गुप्ता, कमल किशोर एवं सुनिता, विमेन्स एम्पावरमेन्ट इन इण्डिया एण्ड इट्स स्टेट्स, इकॉनोमिक पोलिटिकल विकली, 14 फरवरी, 2004, पृ.सं. 649
9. निशि, साह एवं अजय कुमार, महिला अधिकारिता में उद्यमशीलता का योगदान, संपादकीय, रोजगार समाचार, नई दिल्ली, 1-7 अक्टूबर, 2005, पृ.सं. 2
10. मौर्य, शैलेन्द, राजनीतिक व्यवस्था में महिला सहभागिता, शोध संकल्प समीक्षा, वॉ. 1, अंक 1, अक्टूबर 2021, पृ.सं. 37
11. उपर्युक्त, पृ.सं. 37-38
12. दुनिया के बच्चों की स्थिति, 2004, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, (यूनिसेफ), 2003, पृ.सं. 1
13. दी सेन्टर फॉर एशिया-पैसेफिक विमेन इन पॉलिटिक्स, कांग्रेस विमेन इन पॉलिटिक्स ऑन 'व्हाई विमेन शुड इन्वाल्व्ड एण्ड वॉट पोलिटिक्स ओर एक्सपेक्टेड़ टू डू' महिला, 1994
14. सम्पर्क, महिला बाल विकास मंत्रालय की तिमाही समचार पत्रिका, खण्ड-4, अंक-2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अक्टुबर-दिसम्बर 2007, पृ.सं. 06
15. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021